निर्यात हेतु एमएसएमई इकाइयों को पुनर्वित्त सहायता योजना (आरएएमपीई)

क्रम सं	विवरण	विस्तृत ब्यौरा
1	योजना	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को निर्यात के प्रयोजनार्थ पुनर्वित्त सहायता (आरएएमपीई)।
2	योजना का लक्ष्य	निर्यात के प्रयोजन हेतु ऋण के प्रवाह को सुविधाजनक बनाकर एमएसएमई का समर्थन ।
3	पात्र प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाएँ (पीएलआई)	अनुसूचित बैंक (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक और लघु वित्त बैंक) वित्तीय सहायता संबंधित पीएलआई के बोर्ड द्वारा अनुमोदित उधार सीमा / शक्ति के अंतर्गत होगी।
4	योजना का उद्देश्य	एमएसएमई को पीएलआई द्वारा निर्यात के प्रयोजनार्थ दिए गए ऋणों और अग्रिमों का पुनर्वित्त (जैसे सावधि ऋण, कार्यशील पूंजी, लदान-पूर्व/लदान-पश्चात ऋण आदि)
5	पात्र गतिविधियाँ / अंतिम-उधारकर्ता	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषा का अनुपालन करने वाले एमएसएमई अंतिम उधारकर्ता, समय-समय पर यथासंशोधित; या सिडबी अधिनियम, 1989 की धारा 2 (एच) में परिभाषित लघु क्षेत्र में औद्योगिक संस्थाएं। बैंक यह प्रमाणित करेंगे कि एमएसएमई अंतिम उधारकर्ता निर्यात में संलग्न हैं।
6	पात्र सहायता	एमएसएमई अंतिम उधारकर्ताओं को निर्यात से संबंधित ऋणों और अग्रिमों (जैसे सावधि ऋण, कार्यशील पूंजी सीमा, लदान -पूर्व / लदान-पश्चात ऋण सीमाएं आदि) के बकाया संविभाग के बराबर राशि, जिसके प्रति बैंक ने अंतर्निहित आस्तियों / एमएसएमई अंतिम उधारकर्ताओं के संबंध में सिडबी से वित्तीय सहायता सहित अन्य किसी भी संस्था से किसी भी प्रकृति की वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की है। पुनर्वित्त सहायता बैंकों की आवश्यकता के आधार पर भारतीय रुपए और/अथवा विदेशी मुद्रा (सिडबी के साथ विदेशी मुद्रा की उपलब्धता की शर्त पर) में हो सकती है।

		यह सहायता सिडबी द्वारा प्रत्येक बैंक के लिए निर्धारित एक्सपोजर सीमा और अन्य दिशानिर्देशों के अध्यधीन होगी, जो लागू है।
7	पुनर्वित्त की अवधि	सामान्यतया 3-5 वर्ष तक।
8	ब्याज दर और वाणिज्यिक शर्तें	ब्याज की दर और अन्य वाणिज्यिक शर्तें, जिसमें अप-फ्रंट शुल्क भी शामिल है, उसे बाजार की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट किया जाएगा। सामान्य करार के अनुसार मूलधन, ब्याज और अन्य राशियों की किश्तों के भुगतान में चूक के लिए, प्रयोज्य कर सहित लागू उधार दर के ऊपर 2% प्रतिवर्ष का दांडिक ब्याज लगाया जाएगा।
9	प्रतिभूति	बैंक द्वारा सभी प्रतिभूतियों को सिडबी की ओर से एक न्यासी के रूप में रखा जाएगा। इन प्रतिभूतियों में चल और अचल संपत्ति, बही ऋण, प्राप्य राशियाँ, कार्रवाई योग्य दावे, गारंटी, समनुदेशन, विनिमय विपत्र और उनकी प्राप्तियाँ तथा बैंक द्वारा अपने उधारकर्ताओं से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की गईं अथवा की जाने वाली अन्य सभी प्रतिभूतियाँ भी शामिल होंगी; जिन्हें बैंक द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और जिसके प्रतिस्वरूप बैंक को सिडबी की ओर से ऋण मंजूर किया गया है। बैंक को जब भी कहा जाए वह सभी लागू कानूनों के अधीन सिडबी को ऐसी सभी जानकारी प्रस्तुत करेगा व उसके द्वारा प्राप्त सभी प्रतिभूति दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराएगा जो उक्त योजना के तहत कवर किए गए ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में रखी है।
10	सहायता का आवेदन व उसका आहरण	बैंक, निर्धारित प्ररूप में आवेदन और प्रमाणपत्र सिडबी को प्रस्तुत करेगा।
11	मंजूरी	वित्तीय सहायता के अनुमोदन पर, आवेदक बैंक को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया जाएगा जिसमें मंजूरी की विस्तृत शर्तों का उल्लेख होगा।
12	प्रलेखन	**A) <u>एक बार</u>** ❖ बैंक और सिडबी के बीच एक सामान्य समझौता निष्पादित किया जाएगा। ❖ आरबीआई/प्रिंसिपल बैंकर के साथ अपने चालू खाते को डेबिट करने के लिए आरबीआई/प्रिंसिपल बैंकर को संबोधित बैंक द्वारा निष्पादित किए जाने वाले प्राधिकार पत्र (एलओए)। एलओए को आरबीआई/ प्रिंसिपल बैंकर द्वारा विधिवत रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। **B) <u>हर बार</u>**

		❖ मुख्तारनामा / लागू बोर्ड संकल्प / प्राधिकार पत्र की प्रमाणित प्रति के साथ अपेक्षित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर बैंक के अधिकृत अधिकारी द्वारा आशय पत्र की स्वीकृति। ❖ बैंक की ओर से अपेक्षित दस्तावेजों को निष्पादित करने वाले अधिकृत अधिकारियों के केवाईसी दस्तावेज, बोर्ड के संकल्प/शक्तियों का प्रत्यायोजन/प्राधिकार पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे।
13	अंतिम-उधारकर्ताओं की सूची प्रस्तुत करने की समय सीमा	बैंक अंतिम उधारकर्ताओं की सूची संवितरण के समय या अनुमत विस्तारित अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करेगा। सामान्य करार के अनुसार मूलधन, ब्याज और अन्य राशियों की किश्तों के भुगतान में चूक के लिए, प्रयोज्य कर सहित लागू उधार दर के ऊपर 2% प्रतिवर्ष का दांडिक ब्याज लगाया जाएगा। यदि संवितरण की तारीख से 3 महीने के बाद भी डेटा प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो सिडबी के पास बकाया ऋण को वापस लेने का अधिकार रहेगा। यदि ऋण वापस नहीं लिया जाता है तो डेटा जमा करने तक दांडिक ब्याज से शुल्क लिया जाता रहेगा।
14	पूर्व चुकौती	उधारकर्ता बैंक सिडबी का पूर्व-अनुमोदन किए बिना देय तिथियों से पहले ऋण की बकाया मूल राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से पूर्व चुकौती नहीं करेगा, सिडबी द्वारा पूर्व चुकौती का अनुमोदन, पूर्व चुकौती शुल्क लगाने सहित निर्धारित शर्तों के अधीन दिया जा सकता है

नोट: अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों के बीच विसंगति के मामले में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा

*****